रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2005/पौष 28, 1926

No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2005/PAUSA 28, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2005

सं. 47/2004-2009

फा. सं. 01/92/180/34/एएम 05/पी सी-2.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैरा 7.17.1 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"विशेष आर्थिक क्षेत्र को डीटीए आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित के हकदार होंगे :—

(क) ड्राबैक/डीईपीबी/डीएफआरसी/अग्रिम लाइसेंस

(ख) आपूर्तिकर्ता से निर्यात निष्पादन यदि कोई हो, को पूरा करना।"

2. "आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज" शीर्ष के अधीन परिशिष्ट 10-घ की क्रम सं. 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—

"1. निर्यात/आपूर्तियों के साक्ष्य :

(क) वास्तविक निर्यातों के लिए पोत लदान बिल या निर्यात बिल की एक ईपी प्रति (केवल पैराग्राफ 4.19 के अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अधिसूचित भूमि सीमाशुल्क के माध्यम से किए गए निर्यातों के मामले में)।

(ख) मान्य निर्यातों के मामले में, माल प्राप्त करने वाले एकक द्वारा बाकायदा हस्ताक्षरित बीजक की एक प्रति और आधिकारिक उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित आपूर्ति की मद, उनकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तिथि। तथापि, उन मदों की आपूर्ति के मामले में, जो उत्पाद शुल्क के योग्य उत्पाद नहीं हैं, उत्पाद शुल्क प्रमाणीकरण के बदले ऐसी आपूर्ति की मात्रा, मूल्य और तारीख को प्रमाणित करने वाले एक परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र (पी ए सी) स्वीकार्य होगा। उपर्युक्त के बावजूद, निर्यातोन्मुखी एकक को आपूर्तियों के सम्बन्ध में, आपूर्ति की मद, इसकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तारीख को प्रमाणित करने वाले आधिकारिक उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बाकायदा हस्ताक्षरित ए आर ई-3 की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।"

1. पैराग्राफ 4.32 के पहले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :—

"डी एफ आर सी के अन्तर्गत निर्यात पोत लदान, प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.19 में उल्लिखित किसी भी पत्तन और किसी एस ई जेड से किया जा सकता है।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th January, 2005

No. 47/2004—2009

F. No. 01/92/180/34/AM 05/PC.-II.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Volume 1) :

1. Para 7.17.1 shall be amended to read as under :—

"DTA supplier to SEZ shall be entitled for :—

(a) Drawback/DEPB/DFRC/Advance Licence

(b) Discharge of export performance, if any, on the supplier."

2. Sl. No. 2 of Appendix. 10-D under the heading "Documents to be enclosed with the application form" shall be amended as under :—

"1. Proof of export/Supplies :

(a) For physical exports an EP copy of the Shipping Bill or Bill of Export (Only in case of exports through notified land Customs and SEZs under paragraph 4.19).

(b) In case of deemed exports, a copy of the invoice duly signed by the unit receiving the material and their jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply. However, in case of supply of items, which are non-excisable product(s), a project authority certificate (PAC) certifying quantity, value and date of such supply would be acceptable in lieu of excise certification. Notwithstanding the above, in respect of supplies to EOU, a copy of ARE-3 duly signed by the jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply shall be furnished."

1. The first sentence of paragraph 4.32 stands amended as under :—

"Export shipments under DFRC can be effected from any port mentioned in paragraph 4.19 of the Handbook and any of the SEZs."

This issues in public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.